न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 43 / 2022

वादी :– कन्हैयालाल पुत्र श्री जंवरीलाल उर्फ जंवरीदास, जाति साद निवासी हरियाढाणा, हालनिवासी रेण, तहसील मेड़ता जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार बिलाडा।
2. पटवारी हल्का हरियाढाणा।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 91 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री जगदीश चौहान अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 6/2/2023

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की चल व अचल सम्पति ग्राम हरियाढाणा में स्थित है तथा वादी के पिता मेड़ता तहसील के ग्राम रेण में कामकाज करने हेतु आये तथा ग्राम रेण में ही अपना स्थायी निवास बना लिया तथा वादी के पिता की मृत्यु भी ग्राम रेण में ही हुई थी। ग्राम हरियाढाणा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 90 रकबा 1.2863 हैक्टेयर की भूमि वादी के पिता जंवरीलाल उर्फ जंवरीदास की खातेदारी अधिकार की आई हुई है। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 21.12.2019 को हो चुकी है तथा वादी की माता नेनीदेवी की मृत्यु आज से 28 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादी का सजरा खानदान वाद पत्र के पद संख्या 2 के अनुसार है। उपरोक्त खसरा की खातेदारी में फौतेदगी म्यूटेशन वक्त वादी के पिता का नाम गलती से जंवरीलाल पुत्र शिवलालदास के स्थान पर जवरीदास पुत्र सांवलदास दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम जंवरीलाल पुत्र शिवलालदास है ओर यही नाम वादी के पिता के बाकी सभी दस्तावेज भामाशाह कार्ड, यूको बैक पासबुक, पेंशन वार्षिक सत्यापन रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, वोटर कार्ड, ग्राम पंचायत रेण द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र इत्यादि में दर्ज है। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 21.04.2022 को वादी विवादित खसरा में फौतेदगी म्यूटेशन में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए गया और खतौनी की नकल प्राप्त की, तब वादी को इसकी जानकारी हुई, जिसको दुरूस्त कर वादी के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण भरने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादी संख्या 1 की दुरूस्ती के सम्बंध में जॉच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम हरियाढाणा के खाता सं. 283 में दर्ज खातेदार जंवरीदास पुत्र सांवलदास जाति साद राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के पिता नाम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र शिवलालदास की दुरूस्त किया जाना उचित है।

इसलिए वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 1.2863 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जंवरीदास पुत्र सांवलदास के स्थान पर जवरीलाल पुत्र शिवलालदास की दुरूस्ती की जाकर मृतक जवरीदास पुत्र सांवलदास के स्थान पर उसके समस्त वारिसानों की नियमानुसार जॉच कर बाद जॉच मृतक के समस्त वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी :– कन्हैयालाल पुत्र श्री जंवरीलाल उर्फ जंवरीदास, जाति साद निवासी हरियाढाणा, हालनिवासी रेण, तहसील मेड़ता जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार बिलाडा।
2. पटवारी हल्का हरियाढाणा।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 91 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 44/2021

निर्णय दिनांक :– 6/2/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री जगदीश चौहान अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 90 रकबा 1.2863 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जंवरीदास पुत्र सांवलदास के स्थान पर जवरीलाल पुत्र शिवलालदास की दुरूस्ती की जाकर मृतक जवरीदास पुत्र सांवलदास के स्थान पर उसके समस्त वारिसानों की नियमानुसार जॉच कर बाद जॉच मृतक के समस्त वारिसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/2/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा